

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-715 / 2011

संस्थित दिनांक-17.10.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

मुकेश पिता ढालसिंह बिसेन, उम्र-36 वर्ष,

निवासी-भरलई, थाना मलाजखंड, जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-04 / 06 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-04 / 10 / 2011 को सयम शाम 7:00 बजे स्थान ग्राम मण्डई आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत फरियादी ताजीराम पटले की दुकान से तीन मोटरसायकल के टायर डनलप कम्पनी के कीमती करीब 4,000/-रुपये को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी से लेन के आशय से हटाकर चोरी की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-04 / 10 / 2011 को सयम शाम 7:00 बजे स्थान ग्राम मण्डई आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत प्रार्थी ताजीराम पटले की दुकान से मोटरसायकल के तीन टायर जिनकी कीमत लगभग 4000/- रुपये थी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किये चोरी जाने पर फरियादी द्वारा थाना बिरसा में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक-97 / 2011 धारा-379 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कार्यवाही के अनुसार आरोपी से मोटरसायकल के तीन टायर डनलप कम्पनी के जप्तकर जप्ती कार्यवाही की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा मोटरसायकल के टायर की शिनाख्ती कार्यवाही करवायी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04/10/2011 को स्थान प्रार्थी ताजीराम पटले की दुकान ग्राम मण्डई आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत प्रार्थी ताजीराम के कब्जे में से तीन मोटरसायकल टायर डनलप कम्पनी के कीमती करीब 4,000/-रुपये को प्रार्थी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— ताजीराम(अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। घटना माह फरवरी 2011 को शाम 6-7 बजे की उसकी दुकान की बात है। उसका मोटरसायकल रिपेरिंग का काम है। उसकी दुकान में तीन नये टायर रखे हुए थे। आरोपी मुकेश गाडी बनवाने उसके पास आया था, उसी समय आरोपी उसके दुकान में रखे टायर को छूकर देख रहा था, दूसरे दिन सुबह दुकान आकर देखा तो उसकी दुकान में टायर नहीं थे। उसने पता लगाया तो आरोपी के भाईयों ने उसे एक-दो दिन बाद बताया था कि आरोपी टायर लाया है और बेच दिया है। उक्त टायर की कीमत तीन-चार हजार रुपये थी। उसने थाने में उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौके पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बाजार से उक्त टायर की कोई रसीद खरीदने के संबंध में पुलिस को नहीं दिया। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त टायर उसके नहीं थे और उसने भी टायर चोरी करके लाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे आरोपी के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, उसने आरोपी के भाईयों द्वारा सूचना देने पर पुलिस को जानकारी दी थी। उक्त के संबंध में उसके पुलिस कथन में न लिखा हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के द्वारा फरियादी के रूप अभियोजन मामले के रूप में साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की पुष्टि की है और आरोपी को

कथित चोरी करते हुए देखे जाने का कथन नहीं किया है। उक्त साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके आधिपत्य के तीन टायर की घटना के समय चोरी हुई। इस प्रकार मामले में आरोपी से कथित मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धता सुनिश्चित की जानी है।

6— ठाकुर प्रसाद (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं जानता। प्रार्थी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह दिनांक-10/10/2011 को वह कमलेश पटले के साथ सुबह के समय बिरसा गया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-3 के कथन पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम आरोपी मुकेश के द्वारा उसके समक्ष पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है तथा उक्त मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी ने कथित मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— कमलेश(अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व की है, उसकी दुकान से मोटरसायकल के तीन टायर चोरी हो गये थे। उसके सामने आरोपी मुकेश ने पुलिस को कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया था, मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई टायर जप्त नहीं किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह दिनांक-10/10/2011 को आरोपी मुकेश ने उसके सामने तीन टायर को कमरे में छुपाकर रखने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने आरोपी मुकेश के द्वारा प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम उसके समक्ष पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है तथा उक्त मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने कथित मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 से भी इंकार किया है।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर किये थे उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— सहबूसिंह(अ.सा.4) एवं प्रहलाद(अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को पहचानते हैं। उसके सामने पहचान कार्यवाही नहीं हुई थी, पुलिस ने शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-8 पर थाने पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने तीरथलाल व प्रहलाद की उपस्थिति में कथित टायर की पहचान कार्यवाही की थी। साक्षी ने शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-8 से इंकार किया है।

9— आर.एस.सिंगरौरे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-09/10/2011 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने सूचनाकर्ता ताजीराम की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-97/11, धारा-379 भा.द.वि. प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी अशोक राणा(अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-09.10.2011 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-97/11, धारा-379 भा.द.वि. के अंतर्गत डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था। उसने आरोपी की पता तलाशी किया था संदेह होने पर आरोपी मुकेश से बारिकी से पूछताछ किया था। उसके द्वारा दिनांक-10.10.2011 को साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने मेमोरेण्डम में चोरी किये गये मोटरसाईकिल के टायर को अपने घर में रखा होना बताया था और जिसे बरामद करा देता हूं बताया था। उक्त साक्षियों के सामने ही आरोपी के घर पर जाकर आरोपी के निकालकर देने पर तीन नग मोटरसाईकिल के टायर डनलप कम्पनी के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक-09.10.2011 को साक्षी ताजीराम दिनांक-10.10.2011 को कमलेश एवं ठाकुर प्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-10.10.2011

को आरोपी मुकेश को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-12.10.2011 को साक्षी सहबूसिंह, किरतलाल, प्रहलाद के समक्ष शिनाख्ती पंचनामा तैयार किया था। उक्त शिनाख्ती कार्यवाही में प्रार्थी ने पैरों के निशान को लेकर टायर की पहचान किया था, शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। यद्यपि एकमात्र अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य पर अभियोजन की ओर से अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर किया गया है। जबकि शेष महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

11— मामले में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है तथा अभियोजन की ओर से ऐसी पारिस्थितिक साक्ष्य पेश नहीं की है, जो कि केवल आरोपी को ही दोषसिद्ध ठहराती हो और उनकी निर्दोषिता की कोई गुंजाइश न हो। उक्त परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध धारा-114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित तीन टायरों को आरोपी के कब्जे से पाये जाने पर आरोपी ने कथित चोरी की। वास्तव में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन जप्ती के साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार मामले के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने उनके सामने कथित मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही से स्पष्ट रूप से इंकार करने, इनके पुलिस कथन से मुकर जाये और शिनाख्ती की कार्यवाही के साक्षीगण के द्वारा भी कथित शिनाख्ती कार्यवाही का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी दशा में अभियोजन मामले में युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है।

12— अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, जबकि आरोपी को अपने बचाव में संदेहास्पद परिस्थितियों को प्रकट करना होता है। मामले में फरियादी ताजीराम के आधिपत्य से तीन टायर की चोरी होने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है किन्तु मामले में आरोपी को किसी ने भी कथित चोरी करते हुए नहीं देखा है और अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। मामले में तैयार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 में मेमोरेण्डम का स्थान बस स्टेण्ड बिरसा समय 10:30 बजे उल्लेखित है जबकि कथित जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 में कथित जप्ती का स्थान ग्राम अमलाई समय 11:30 बजे उल्लेखित है। उक्त दोनों कार्यवाही में एक समान स्वतंत्र साक्षी का होना प्रकट किया गया है, किन्तु उन

स्वतंत्र साक्षीगण ने आरोपी से कथित मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही के संबंध में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। ऐसी दशा में एकमात्र जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

13— प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी ताजीराम के कब्जे में से तीन मोटरसायकल टायर डनलप कम्पनी के फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी किया। अतएव आरोपी को धारा-379 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— आरोपी के प्रकरण में विचारण के दौरान दिनांक 10/10/2011 से दिनांक 04/11/2011 तक एवं दिनांक 16/09/2013 से दिनांक 07/04/2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, उक्त अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा तीन नग मोटरसायकल के टायर को सुपुर्ददार ताजीराम पटले को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट